

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

फैसला संख्या :- 347/20.23

प्रिजि बनाम सुरेश

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|------------------------------|---|----------------|
| 29/10/24 | <p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। वकील प्रार्थी को अप्रार्थीगण की तामील करवाने हेतु न्यायालय फीस/डाक महसूल समय पर नहीं दिया। अतः आदेश 9 नियम 2 के तहत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)</p> | |